कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

सं. : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-21/2016-17/

दिनांक : /09/2016

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत- अगस्त्यमुनि

जिला- रुद्रप्रयाग

विषय : क्षेत्र पंचायत अगस्त्यमुनि का वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के **भाग -4 (ब)-1 में शून्य प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में 06 प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर** है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी (**निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड**) के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 21/2016-17/ दिनांक: /09/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

4 -जिला पंचायतराज अधिकारी, रुद्रप्रयाग

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-17 के लिये क्षेत्र पंचायत- अगस्त्यमुनि, जनपद-रुद्रप्रयाग पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(i) श्री जगमोहन सिह रौथाण - प्रमुख (क्षेत्र पंचायत)

(ii) श्री यशपाल सिहं टम्टा प्रभारी, खण्ड़ विकास अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम (i) श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ.

(ii) श्री अर्जुन सिंह, स.ले.प.अ.

(iii) श्री के.वी.गुरुंग., पर्यवेक्षक

(iv) श्री आशीष मालवीय, व.लेखापरीक्षक

(स) संप्रेक्षा तिथि 04.06.2016 से 13.06.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2014-15 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **ख.वि.अ., क्षे.पं.-** अगस्त्यमुनि, **जनपद - रुद्रप्रयाग**

   (अ) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः- -

   भौगोलिक क्षेत्र :--29,700 हैक्टयर

   जनसंख्या :

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 40

3- (अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 04 प्रति वर्ष

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या:- 06 बैठक:

5- कर्मचारियों की संख्या : 19

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : -

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :- 40

9- (अ) सामाजिक संरक्षा

   (ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

   (स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:-

   (द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : -

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय : ` 43809439.11

   (अ) सामान्यः -

   (ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है- हाँ

भाग-4 (अ)

(क) **परिचयात्मकः-** कार्यालय **ख.वि.अ., क्षेत्र पंचायत- अगस्त्यमुनि, जनपद- रुद्रप्रयाग** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ. के आंशिक पर्यवेक्षण मे श्री अर्जुन सिंह, स.ले.प.अ., श्री के.वी.गुरुंग, पर्यवेक्षक एवं श्री आशीष मालवीय, व.लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 04.06.2016 से 13.06.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-4(ब)I**	**प्रस्तर भाग-4(ब)II**
(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर			
प्रतिवेदन स0 412/2014-15		प्रस्तर-1	प्रस्तर 01,से 06

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**
(**ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर** -	शून्य
(ग) सतत अनियमितताओं की सूची -	शून्य
(घ) अप्रस्तुत अभिलेख -	शून्य

भाग- 4(ब)2

प्रस्तर 1:- योजना के अन्तर्गत ` 82,500/- की राशि अवमुक्त के पश्चात आवास पूर्ण होने के प्रमाण न होना।

दीनदयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना के नाम से राज्य पोषित योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले आवासविहीन कच्चे आवासों में निवास करने वाले परिवार को पक्के आवास की सुविधा/निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में निम्न लाभार्तियों को धनराशि अवमुक्त की गई थी।

क्र.स.	**लाभार्थियों के नाम**	**अवमुक्त धनारशि**
1.	श्रीमती कमला देवी	18,750/-
2.	श्री गोविन्द लाल	63,750/-
	योग	**82,500/-**

क्षेत्र पंचायत, अगस्त्यमुनि के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष न तो आवास पूर्ण होने का प्रमाण है और न ही लाभार्थियों द्वारा द्वितीय एवं तृतीय किस्त की माँग की गई है। इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि श्री गोविन्द लाल द्वारा आवास पूर्ण किया जा चुका है एवं श्रीमती कमला देवी को तीन नोटिस भेजे गये है, वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

अतः लाभार्थियों को धनराशि अवमुक्त करने के पश्चात भी वर्ष 2013-14 से अभी तक आवास अपूर्ण रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- 4(ब)2

प्रस्तर 2:- श्रम उपकर का प्रावधान करके निर्माण कार्यों से कटौती कर श्रमिक कल्याण बोर्ड़ निधि में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड़ शासन के पत्र संख्या 740/VIII/14.680(श्रम)/2002 टी.सी.-II दिंनाक 13.08.2014 द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा अधिनियम भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन अधिनियम 1996 तथा गठन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 1996 के अन्तर्गत अधिनियमित किये गये है। जिनमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हे विभिन्न हितकारी योजनाओं द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये है उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का 01 प्रतिशत उपकर के रुप में श्रम कल्याण बोर्ड़ की निधि में जमा किये जाने का प्रावधान था।

खण्ड़ में निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि सम्बन्धित खण्ड़ द्वारा उक्त प्राविधानिक श्रम उपकर की 01 प्रतिशत धनराशि का आंगणनों में प्रावधान कर कटौती करते श्रम कल्याण बोर्ड़ में नहीं जमा किया गया।

इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया भविष्य में आंगणन गठित के समय उक्त निर्देशों का पालन किया जायेगा तथा आंगणन में 01 प्रतिशत उपकर का प्राविधान रखा जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया परिणाम स्वरुप उपकर की कटौती नहीं की जा रही है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- 4(ब)2

प्रस्तर 3 (अ) :- ` 52.40 लाख के कार्यों पर ` 26.88 लाख व्यय उपरान्त लम्बे समय से कार्य अपूर्ण रहना।

क्षेत्र पंचायत विकास निधि के अन्तर्गत मार्च 2016 तक की मासिक प्रगति प्रतिवेदन की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2006-07 से वर्ष 2014-15 तक के शेष 138 कार्य में से मात्र 36 कार्य पूर्ण किये गये थे एवं 102 कार्य प्रगति पर थे। उक्त कार्य के सापेक्ष ` 52.40 लाख आवंटित की गई थी एवं कार्य पर ` 26.88 लाख व्यय उपरान्त 102 कार्य अपूर्ण थे।

क्षेत्र पंचायत, अगस्त्यमुनि से इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर की विगत कई वर्षों से कार्य किन कारणों से अपूर्ण है, तो इकाई द्वारा बताया गया कि भविष्य के लिए नोट किया। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यों पर ` 26.88 लाख व्यय होने के पश्चात भी कार्य का पूर्ण लाभ जनता को नहीं मिल सका।

अतः ` 52.40 लाख के कार्यों पर ` 26.88 लाख व्यय उपरान्त लम्बें समय से 102 कार्यों के अपूर्ण रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- 4(ब)2

प्रस्तर 3(ब):- विधायक निधि एवं 13वाँ वित्त के अन्तर्गत 2014-15 में प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य अपूर्ण रहना।

विधायक निधि एवं 13वाँ वित्त के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य अपूर्ण पडे है जिसका विवरण निम्न प्रकार है

क्र.स.	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	व्यय की गई धनराशि
(क) विधायक निधि			
1.	पेयजल योजना तडांग	150000-	69305-
2.	रास्ता निर्माण देवनगर से सिलकोट तक	150000-	112200-
3.	मिलन केन्द्र निर्माण सुमनपुर	300000-	217800-
4.	अतिरिक्त कक्ष निर्माण व्राइटलैण्ड इन्टरनेशनल चन्द्रापुरी	250000-	168690-
5.	मिलन केन्द्र निर्माण पौण्ड पाणी तोक किणजाणी	150000-	109280-
6.	खण्डजा सी0सी0 मार्ग वग्वान से जावदी गेदेरे तक मणिगुह	150000-	112340-
7.	भैखनाथ तोक सौड भटगांव	100000-	70016-
8.	धारा एंव पेयजल कार्य पन्देरा तोक तलसारी	100000-	72416-
9.	मिलन केन्द्र निर्माण वाजगड् जहगी	250000-	159575-
10.	मिलन केन्द्र निर्माण पटटरियाण तोक कण्डारा	250000-	187565-
(ख) 13वाँ वित्त आयोग			
1.	पेयजल योजना मरम्मत भणज	70000-	36659-
2.	जल-मोड नाली निर्माण किणंजाणी	70000-	64220-
3.	पेयजल मरम्मत पूर्न-निर्माण जी0आई0 सी0 खेडाखाल	100000-	49990-
4.	पानी धारा सौन्दर्याकरण क्यूड़ी	70000-	43000-
5.	पेयजल योजना निर्माण तिनसोली	70000-	35029-
6.	पेयजल योजना मरम्मत ताल जामंण	50000-	30014-

7.	पेयजल योजना मरम्मत भटगाँव से चोपडा तक	70000-	58092-
8.	पेयजल योजना मरम्मत बगोंली	100000-	49928-
9.	पेयजल योजना मरम्मत मल्ला सरगडी तोक नवासू	70000-	35080-
10.	पेयजल योजना निर्माण क्यार्क बरसूडी	70000-	41004-
11.	पेयजल योजना निर्माण कान्दी	70000-	35655-
	कुल योग(क+ख)	**2660,000-**	**17,57,858-**

उपर्युक्त अपूर्ण कार्यों के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिए जाएंगे। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि उक्त कार्य 01 से 03 माह के अन्दर पूर्ण हो जाने चाहिए थे। तथा कराये गये कार्यों की गुणवता पर असर पडेगा।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- 4(ब)2

प्रस्तर 4:- बिना अनुबन्ध किये ` 3.75 लाख अवमुक्त किया जाना।

सांसद निधि के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत, अगस्त्यमुनि के ग्राम पंचायत पीडा में सौर ऊर्जा संयत्र स्थापित करने हेतु दिनांक 15-07-2015 को ` 5.00 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए यह निर्देश दिये गये थे कि सम्बन्धित कार्यों का प्राक्कलन गठित कर योजना के क्रियान्वयन की पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अवमुक्त धनराशि को एक माह के अन्दर व्यय कर लिया जाये। ग्राम विकास अभिकरण द्वारा प्रथम किस्त ` 3.75 लाख(75%) क्षेत्र पंचायत को दिनांक 05-08-2015 को अवमुक्त किया गया था।

ग्राम विकास अभिकरण, रुद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 11-01-2016 को क्षेत्र पंचायत को अवमुक्त प्रथम किस्त ` 3.75 लाख उरेडा, रुद्रप्रयाग को अवमुक्त करने की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया था तथा दिनांक 29-01-2016 को क्षेत्र पंचायत द्वारा उप-मुख्य परियोजना अधिकारी, उरेडा रुद्रप्रयाग को पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गई, जबकि कार्य के क्रियान्वयन की पूर्ण जिम्मेदारी इकाई की थी। इस प्रकार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा तिथि (जून 2016) तक अप्राप्त था। इकाई द्वारा बिना अनुबन्ध के पूर्ण धनराशि उरेडा, रुद्रप्रयाग को अवमुक्त करने से पूर्व अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का पालन नही किया गया जिसमें भुगतान से पूर्व अनुबन्ध, सामग्री की विशिष्टता, आपूर्ति की समय सीमा, कार्यपूर्ति प्रतिभूति एवं नियमावली के अध्याय-2 के नियम -22(2)(ख) के अनुसार राज्य/केन्द्र सरकार की इकाई या राज्य/ केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हेतु अनुबन्ध के मूल्य का 40% धनराशि अनुबन्धित फर्म द्वारा माँग करने पर अग्रिम के रुप में दिया जाना चाहिए था।

इकाई द्वारा बिना अनुबन्ध के 75% धनराशि अवमुक्त किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि आगणन गठित करने हेतु कनिष्ठ अभियन्ता(ग्रा0अ0से0) को लिखित निर्देश दिया गया था लेकिन उनके द्वारा समय से आगंणन गठित नही किये जाने के फलस्वरुप परियोजना अधिकारी, रुद्रप्रयाग से धनराशि हस्तान्तरित करने के आदेश प्राप्त हुए एंव धनराशि हस्तान्तरित की गई तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र/ समायोजना कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि बिना अनुबन्ध के धनराशि उरेडा, रुद्रप्रयाग को हस्तान्तरित/ भुगतान नही किया जाना था तथा सामग्री की विशिष्टता आदि शर्तों के अनुसार ही धनराशि अवमुक्त किया जाना

था। कार्य एक माह में पूर्ण किया जाना था परन्तु प्रथम किस्त ` 3.75 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त था व दितीय किस्त की माँग नही की जा सकी थी ।

अतः बिना अनुबन्ध के ` 3.75 लाख अवमुक्त करने एव उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त का प्रकरण प्रकाश मे लया जाता हैं।

भाग- 4(ब)2

प्रस्तर 5:- बिना माप के ` 6.33 लाख का अपूर्ण कार्य पर व्यय किया जाना।

तृतीय राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में 12 कार्यों के सापेक्ष ` 12.25 लाख स्वीकृत की गई थी, जिस पर कार्य को माप किये बिना बाऊचरों के आधार पर ` 6.33 लाख का भुगतान किया गया था। जबकि सम्बन्धित अभियन्ता को कार्य के निरीक्षण, कर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि कार्य प्राक्कलन में विहित विशिष्टताओं के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है या नहीं, तत्पश्चात माप उपरान्त भुगतान हेतु संस्तुति किया जाना चाहिए।

क्षेत्र पंचायत, अगस्त्यमुनि के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा कार्यों की विशिष्टताओं एवं मूल्याकंन किये बिना बाऊचर के आधार पर ` 6.33 लाख का भुगतान हेतु संस्तुति दी गयी, जबकि कार्यादेश में स्पष्ट निर्देश थे कि कार्यप्रभारी द्वारा प्रस्तुत व्यय बाऊचर एवं कनिष्क अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत माप के अनुसार ही भुगतान देय होगा। इस प्रकार कार्यदेश की तिथि (3/2015) से तीन माह के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित कार्य प्रभारी को निर्देशित किया गया है तथा कनिष्ठ अभियन्ता को माप हेतु निर्देशित किया जायेगा। निर्माण कार्यों पर रायल्टी कटौती की जाती रही है, जमा धनराशि कोषागार के माध्यम से शासन में जमा की जा रही है।

उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि कार्यादेश में स्पष्ट निर्देश था कि माप के अनुसार भुगतान किया जाये तथा कार्य प्रारम्भ के तीन माह के अन्दर पूर्ण किया जाये परन्तु इकाई द्वारा बिना माप के भुगतान किया गया एवं 01 वर्ष पश्चात भी कार्य अपूर्ण था।(**अनुलग्नक**)

अतः बिना माप के ` 6.33 लाख के अपूर्ण कार्यों पर व्यय किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- 4(ब)2

प्रस्तर 6:- सामग्री में 20 प्रतिशत से अधिक के Variation का सक्षम अधिकारी से अनुमोदनि प्राप्त किये बिना भुगतान किया जाना।

सांसद निधि, दैवीय आपदा मद से पेयजल योजना मरम्मत पुर्ननिर्माण सौडभटटगाँव हेतु ` 9.75 लाख के आंगणन पर धनराशि स्वीकृत की गई थी। क्षेत्र पंचायत अगस्त्यमुनि द्वारा अल्पकालीन निविदा दिंनाक 16.10.2014 को आमन्त्रित की गई थी, जिसमें न्यून्तम निविदाताओं से 30.45 प्रतिशत कम पर (` 6.78 लाख) अनुबंध दिंनाक 06.11.2014 को किया गया था। अनुबंध के अनुसार कार्य तीन माह में पूर्ण किया जाना था।

क्षेत्र पंचायत अगस्त्यमुनि के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना अनुबंध किया गया था। अनुबंध के समय 10 प्रतिशत जमानत राशि (धरोहर राशि) ` 0.678 लाख सावधि के रुप में जमा किये बिना कार्य प्रारम्भ किया गया था। आंगणन एवं मापन के अनुसार सामग्री की मात्रा में 20 प्रतिशत से अधिक का Variation था (**अनुलग्नक**)

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि अनुबमध के समय सम्बन्धित ठेकेदार से 02 % की धनराशि जमानत हेतु प्राप्त की गई तथा शेष 08% धनराशि प्रथम बिल के भुगतान के समय बिल से कटौती की गई। सामग्री के Variation के सम्बन्ध में अवगत कराया कि अपर अभियन्ता से आख्या प्राप्त कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय-2 (सामग्री) के नियम-21(3) के अनुसार सफल निविदाताओं द्वारा कार्यपूर्ति धरोहर प्रस्तुत करने के बाद उसकी निविदा प्रतिभूमि वापस किया जाना चाहिए तथा सामग्री में 20 प्रतिशत से ज्यादा Variation होने पर उच्चाधिकारी/सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए था।

अतः बिना कार्यपूर्ति धरोहर प्राप्त किये कार्य सौंपा जाना एवं 20 प्रतिशत से अधिक सामग्री पर Variation की अनुमोदन उच्चाधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्राप्त न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **खण्ड विकास अधिकारी, क्षे.प.-अगस्त्यमुनि, जनपद- रुद्रप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी
स्थानीय निकाय